न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ

प्र0स0/अपील/5/21 दिनांक :- 17.5.22

1. श्री कन्हैयालाल पिता बगदीराम जी जाति सुथार आयु वयस्क निवासी सरवानिया तहसील जावद जिला नीमच म0 प्र0
2. श्री कैलाशचन्द पिता बगदीराम जी जाति सुथार आयु वयस्क निवासी सरवानिया तहसील जावद जिला नीमच म0 प्र0
3. श्री कला बाई बेवा/पत्नि बगदीराम जी जाति सुथार आयु वयस्क निवासी सरवानिया तहसील जावद जिला नीमच म0 प्र0
4. श्रीमति दुर्गा पुत्री बगदीराम जी जाति सुथार आयु वयस्क निवासी सरवानिया तहसील जावद हाल पत्नि साहुज जी सुथार निवासी अठाना तहसील जावद जिला नीमच
5. श्रीमति पुष्पा पुत्री बगदीराम जी जाति सुथार आयु वयस्क निवासी सरवानिया तहसील जावद जिला नीमच म0 प्र0 हाल पत्नि मुरलीधर जी सुथार निवासी 736, सूर्य नगर सेक्टर म0 3, ममता खेडा उदयपुर जिला उदयपुर राज0 ..... अपीलाण्टस

// बनाम //

श्री सरपंच ग्राम पंचायत केली जरिये सरपंच ग्राम पचायत केली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ..... रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध ना0 स0 1105 दिनांक 24/03/2021
अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत केली ।

निर्णय

अपील अपीलाण्टस के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। कि वाके मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेडा की नामान्तकरण संख्या 1105 जिसमें नवीन खाता संख्या 48 नवीन आ0 न0 2131 रकबा 2.5300 हेक्टेयर लगानी 24.04 रूपये आराजी वाके स्थित है। उक्त वर्णित आराजी अपीलाण्ट की संयुक्त पैत्रिक आराजीयात प्रभुलाल जी सुथार के जमाने से चली आ रही होकर पुश्तैनी है। स्व0 प्रभुलाल जी के देहान्त के बाद आराजी उनकी पत्नि एवं पुत्र बगदीराम जी के नाम पर इन्तकाल विरासत से दर्ज रेकार्ड हुआ। उसके बाद बगदीराम जी का भी इन्तकाल हो गया। पुन: विरासत से उक्त वर्णित आराजी बगदीराम जी के विधिक वारिसान पुत्र पुत्रियों तथा उनकी पत्नि अपीलाण्ट के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड हुई। जब विरासत से उक्त आराजीयात सयुक्त पैत्रिक दर्ज रेकार्ड हुई, उसके बाद अपीलाण्ट मु0 इन्दा, मु0 कला, दुर्गा एवं पुष्पा द्वारा अपना हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के माध्यम से दिनाक 19/01/2021 को हकत्याग ग्रहिता क्रमश: कन्हैयालाल एवं कैलाशचन्द पौत्र, पुत्र तथा भाईयो के पक्ष मे कर कब्जा खास मौके पर बिना किसी प्रतिफल के सिपुर्द कर छोड दिया गया। जब रजिस्टर्ड हकत्यागकर्ता द्वारा हकत्याग पत्र मे वर्णित आराजी का राजस्व रेकार्ड मे अंकन हकत्यागग्रहिता के पक्ष मे करने की सहमति प्रदान कर दी गई है। उसके बाद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके की जाँच व सुचना पत्र हकत्यागकर्ता एव हकत्यागग्रहिता को दिये उक्त आराजी से सम्बन्धित नामान्तकरण 1105 दिनाक 24/03/2021 नामान्तकरण दायर कर उसको निरस्त कर दिया। जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील पेश की है। अपीलाण्टस को कोई सुचना पत्र जारी नही किया और न ही किसी प्रकार से कोई सुनवाई का अवसर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय मे नामान्तकरण अपुर्ण त्रुटिपुर्ण खोलने से पुर्व राज0 भु0 राजस्व अधि0 के नामान्तकरण रूल 121 क्लीज 1 सब क्लीज की कोई पालना नही की है, जो नामान्तकरण अधुरा त्रुटिपुर्ण खोलकर बिना जानकारी सुचना दिये ही अपीलाण्टस के नाम जो इन्तकाल भरा गया उसको निरस्त कर दिया। अपीलाण्ट मे माला कलाबाई तथा पुष्पा एवं दुर्गा दोनो बहिनो द्वारा हकत्यागग्रहिता दोनो पुत्र एवं भाईयो के पक्ष मे कर दिया तथा यह अधिकार दिया की बिना हमारी उपस्थित मे हकत्याग पत्र मे अंकित सम्पुर्ण आराजी अपने नाम राजस्व रेकार्ड मे करा लेवे। इस हकत्याग पत्र मे मु0 इन्दाबाई द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)

भी हकत्याग किया गया था लेकिन उनका देहान्त दिनांक 28/06/2021 को गॉव सरवानिया तहसील जावद में हो चुका हैं। इस लिए उनको इस अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। कि उक्त नामान्तकरण फैसल करने से पुर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित नियमों एवं तथ्यों की विवेचना किये बगैर जो निर्णय दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने वैश्विक मकामारी कॉविड 2019 के दौराने जब केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सम्पुर्ण राज्य में लॉकडाउन लगाया गया था। दिनांक 24/03/2021 को उक्त नामान्तकरण निरस्त किया गया। जो नामान्तकरण निरस्त किया गया उसके निर्णय की कोई जानकारी अपीलाण्ट को पुर्व मे नहीं थी। प्रथम बार जब उक्त आराजीयात अपीलाण्ट की अभी जब फसल की खसरा गिरदावरी कराने गये तब राजस्व रेकार्ड में स्वयं के नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकित नहीं होना तथा जो हकत्याग कराया गया उसका इन्तकाल कन्हैयालाल एवं कैलाशचन्द्र के नाम नहीं खोलकर निरस्त करने की जानकारी तब हुई। उसके बाद नकल जमाबन्दी दिनांक 30/07/2021 को ली गई। उसमें उक्त नामान्तकरण निरस्त का नोट अंकित होने से हल्का पटवारी केली से नामान्तकरण संख्या 1105 की नकल दिनांक 30/07/2021 को ली तब बाद में पुरी जानकारी हुई। सभी सम्बन्धित नकले मिलते ही अपील अपीलाण्ट की ओर से यह बिना किसी देरी के अपील अन्दर अवधि पेश है। अपील पेश करने में जो देरी हुई इसलिए अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। अपील के साथ में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति, नामान्तकरण 1105 की नकल, जमाबन्दी की नकल, हकत्याग पत्र की फोटों प्रति, शपथ पत्र, नकलें इत्यादि के अपील के साथ मे पेश है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्राप्त होने के बाद भी उपस्थित नही हुआ। इसलिए रेस्पोन्डेट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किये गयें।

बहस अपील अपीलाण्ट की सुनी गई। पत्रावली का गहनता से आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अपील वर्णित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराया गया और निवेदन किया कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जावें। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत केली का आदेश नामान्तरण करण संख्या 1105 दिनांक 24/03/2021 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है कि अपीलाण्टगण मे से अपीलाण्ट तीन चार व पॉच हकत्यागकर्तागण माता कलाबाई तथा पुष्पा एवं दुर्गा दोनो बहिनो द्वारा हकत्यागग्रहिता अपीलाण्ट संख्या एक व दो दोनो, पुत्र एवं भाईयो यानि कन्हैयालाल एवं कैलाशचन्द के पक्ष में कर दिया गया है जो रजिस्टर्ड हकत्यागपत्र से स्पष्ट प्रतित होता है। प्रार्थीगण का अपीलाण्ट ग्रामीण क्षैत्र के कम पढे लिखे व्यक्ति हैं जिन्हे समय पर जानकारी अपीलाण्ट का धारा प्रमियाद अधिनियम का आवेदन स्वीकार करते हुए नही होने या तथ्य स्वीकार योग्य हैं ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती हैं । नामान्तरण संख्या 1105 दिनाक 24.3.2021 को निरस्त किया जाता हैं । पत्रावली तहसीलदार निम्बाहेड़ा को रिमाण्ड कर आदेश दिया जाता हैं कि प्रकरण की पूर्ण जांच करते हुए, उभय पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार नामान्तरण निर्णित करें ।

अतः यह निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)